

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0 श्रेणी

बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 795 / 05

संस्थित दिनांक -17 / 11 / 05

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर

जिला बालाघाट म0प्र0 अभियोगी

/ / विरुद्ध / /

सोमनाथ तिवारी वल्द रामनिधि तिवारी

उम्र साल नि-शिवपारा दुर्ग छ0ग0 आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक **30 / 08 / 2016** को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 338, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 28 / 06 / 05 को समय 13:10 बजे के लगभग मेन रोड ग्राम समनापुर थाना रूपझर में दुर्ग रोडवेज बस क्रं. सी. जी. 07 जेड.ए.-0385 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व उक्त वाहन को तेजी व उपेक्षापूर्वक चलाकर संजय, युवराज तथा अजय को टक्कर मारकर अजय को अस्थिभंग तथा संजय की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

2. प्रकरण में मृतक संजय की मृत्यु तथा आहत अजय का अस्थिभंग अविवादित तथ्य है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी नरेन्द्रसिंह ग्राम खण्डापार पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 28.6.2005 को वह अपने घर से उकवा के लिए साईकिल से अकेला आ रहा था कि समनापुर मेनरोड पुलिया के पास दुर्ग रोडवेज बस क्रमांक सी. जी. 07 जेड.ए. 0385 का चालक सोमनाथ तिवारी बस को तेज रफ्तार से चलाकर समनापुर से बैहर की ओर जाने वाली एम.पी. 22 एफ 0973 के फोर के चालकर संजय को ठोस मारा जिससे चालक संजय तथा साथ में बैठे युवराज तथा अजय को चोटें आयीं। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी नरेन्द्रसिंह द्वारा पुलिस चौकी उकवा में दिये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

4. विवेचना के क्रम में आहत युवराज तथा अजय की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं मृतक संजय का शव, परीक्षण के लिये भेजा गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत

न्यायालय में धारा-279, 338, 304ए भा.द.वि. के अंतर्गत, अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।

5. न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 279,338,304(ए) भा.द. वि. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए गए। आरोपी द्वारा आरोपित अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा तथा आरोपी का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।

6. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दि.28/06/05 को समय 13:10 बजे के लगभग मेन रोड ग्राम समनापुर थाना रूपझर में बस क्रं. सी. जी.07 जेड.ए-0385 1 लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी से उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत अजय को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
- (3) क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी व उपेक्षापूर्वक चलाकर संजय को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या प्रश्नगत घटना दिनांक को संजय की मृत्यु हुई ? तथा अजय को अस्थिभंग हुआ। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मृतक संजय की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.17 तथा आहत अजय की एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 16 को आरोपी की ओर से स्वीकार किया गया है, उक्त रिपोर्ट प्र.पी. 16 के अनुसार अजय को बायीं कमर के नीचे जोड़ पर डिस लोकेशन हुआ था। फलतः अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के प्रकाश में यह साबित होता है कि, प्रश्नगत घटना दिनांक को संजय की मृत्यु कारित हुई थी तथा अजय का अस्थिभंग हुआ था।

8. घटना में आहत युवराज अ0सा0 5 के अनुसार घटना आज से पांच वर्ष पूर्व दिन के बारह बजे छिटवा नाला समनापुर के पास की है।

उक्त घटना दिनांक को वह संजय और अजय मोटरसाईकिल से उकवा से बैहर जा रहे थे। नाले के पास टरनिंग पर दुर्ग बस जो कि बैहर से बालाघाट जा रही थी ने तेजी से और उनकी साईड में आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया। उक्त बस को आरोपी सोमनाथ तिवारी चला रहा था। दुर्घटना में उसका दाहिना पैर फैंक्चर हो गया था। दुर्घटना के अन्य आहत अजय अ0सा0 7 ने घटना की पुष्टि की है। उक्त साक्षी के अनुसार जैसी ही उन लोगों ने समनापुर के पास स्थित पुल को कास किया तो उनकी मोटरसाईकिल बस के पीछे भाग से टकरा गयी जिससे वह लोग गिर गये। दुर्घटना में उसका बाया पैर कमर के पास से ज्वाइंट छोड़ दिया था।

9. अजय अ0सा0 7 ने बस डायवर के नाम व पहचान से इंकार किया है। प्रार्थी नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 के अनुसार घटना 28 जून 2015 के लगभग दिन के 01:10 बजे समनापुर रेस्ट हाउस के पास टिटवाडोरी नाला के पास की है। वह अपने घर से उकवा जा रहा था तो उसने देखा कि बैहर से दुर्ग बस सर्विस की बस सी.जी. 07 जेड.ए. 0385 बालाघाट जा रही थी। बालाघाट से दुपहिया वाहन में तीन लोग आ रहे थे। दोनों वाहन आपस में टकरा गये और दोपहिया वाहन के लोग गिर गये। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को बस चलाते हुए नहीं देखा लेकिन रिपोर्ट करते समय उसका नाम सोमनाथ बताया गया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में किया था जो कि प्र.पी. 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तानसिंह अ0सा0 2, शेरसिंह अ0सा0 3 ने घटना से स्पष्ट इंकार कर कोई जानकारी न होना व्यक्त किया जबकि नंद मिश्रा अ0सा0 4 ने एक्सीडेंट के बाद पहुँचना तथा पास में रायपुर बस खड़ी होना व्यक्त किया।

11. जबकि साक्षी राजेश बारिक अ0सा0 6 तथा अशोक कुमार अ0सा0 8 ने जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 के अ से अ तथा बी से बी भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी राजेश अ0सा0 6 पक्ष द्रोही रहा है जबकि अशोक अ0सा0 8 ने वर्ष 2005 में समनापुर के पास मेन रोड किनारे क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 22 एफ. 0973 को जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 के अनुसार जप्त करने का कथन किया है। बस जप्ती के साक्षी राकेश अ0सा0 9 ने जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार कर जप्ती से इंकार किया है।

12. डां. प्रमोद पाराशर अ0सा0 10 द्वारा दिनांक 28 जून 05 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में शाम 04:45 मिनट पर थाना रूपझर के आरक्षक द्वारा लाये जाने पर आहतगण अजय, संजय तथा युवराज का परीक्षण

कर रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी. 7, 10 तथा 11 बनाये जाने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी के अनुसार आहत अजय को शरीर पर बहुत सारे छिले हुए घाव थे। आहत संजय के दाहिने तथा बांये घुटने पर घाव था जबकि आहत युवराज के शरीर पर बहुत सारे छिले घाव थे तथा दाहिनी जांघ पर दर्द एवं सूजन थी। साक्षी के अनुसार उक्त चोटें 24 घण्टे के भीतर की होकर कड़ी वस्तु से होना संभावित थी।

13. विवेचना अधिकारी विरेन्द्र यादव अ0सा0 11 के अनुसार दिनांक 28.06.05 को चौकी उकवा में पद स्थापना के दौरान प्रार्थी नरेन्द्र सिंह तिलगाम की सूचना पर अपराधिक प्रकरण क्रमांक 0/15 धारा 279,337 भा0द0वि0 के अंतर्गत दुर्ग रोडवेज बस क्रमांक सी.जी. 07 जेड.ए. 0385 के चालक सोमनाथ तिवारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भिजवाया था जो प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को मौके पर जाकर नरेन्द्रसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 14 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल ग्राम समनापुर के पास मेन रोड किनारे पड़ी के फोर मोटरसाईकिल जिसका नम्बर एम.पी. 22 -0973 है जो कि क्षतिग्रस्त थी। गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 तथा आरोपी सोमनाथ से बस क्रमांक सी.जी. 07 जेड.ए. 0385 दुर्ग बस सर्विस मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 बनाया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी सोमनाथ को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 15 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौरान विवेचना साक्षी नरेन्द्रसिंह, नंद मिश्रा, शेरसिंह, तानसिंह, युवराज, संजय, अजय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी को प्रेशित की गयी थी।

14. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित होता है कि दिनांक 28.06.2005 को लगभग 1:00 बजे बैहर से बालाघाट जा रही दुर्ग रोडवेज की बस सी.जी. 07 जेड.ए. 0385 जिसे अभियुक्त चला रहा था, की टककर समनापुर नाले के पास मोटरसाईकिल के फोर क्रमांक एम.पी. 20 एफ 0973 जिसमें मृतक संजय तथा आहतगण युवराज और अजय से हुई थी जिसमें मोटरसाईकिल सवार युवकों को चोटें आयी थी तथा बाद में आहत संजय की नागपुर में मृत्यु हुई थी। क्योंकि इस संबंध में साक्षीगण के साक्ष्य अखण्डनीय रहे हैं। स्वयं अभियुक्त द्वारा अपने परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उक्त मोटरसाईकिल पीछे से उसकी बस से टकरा गयी थी। अब प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को प्रश्नगत बस को लापरवाही पूर्वक

तथा उपेक्षापूर्वक चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की थी।

15. आहत युवराज अ0सा0 5 के अनुसार वे लोग अपनी साईड में थे उसके बाद भी बस ने तेजी से आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मोटरसाईकिल वह चला रहा था। घटना के अन्य आहत अजय अ0सा07 के अनुसार उनकी मोटरसाईकिल बस के पिछले भाग से टकरा गयी थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि बस ड्रायवर की लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित हुई थी। साक्षी के अनुसार मोटरसाईकिल मृतक संजय चला रहा था। घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी तथा प्रार्थी नरेन्द्रसिंह अ0सा01 के अनुसार घटना मोटरसाईकिल वालों की गलती के कारण हुई थी। मोटरसाईकिल तेज गति से चल रही थी और बस सीमित गति से चल रही थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कथन है कि मोटरसाईकिल वालों ने बीच रास्ते में लाकर बस को टक्कर मारी थी और बसवालों ने बस रोक दिया था। उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते क्योंकि मौकानक्शा प्र.पी.14 के अनुसार घटना स्थल छिटवा ढोंली नाले के पास सड़क किनारे का होना दर्शित है तथा स्वयं अभियुक्त ने मोटरसाईकिल के बस के पिछले हिस्से से टकराने के कथन किये हैं। जहां तक साक्षी युवराज अ0सा05 के कथन का संबंध है उक्त साक्षी के अनुसार दुर्घटना ग्रस्त मोटरसाईकिल को वह चला रहा था। जबकि अन्य आहत अजय अ0सा07 के अनुसार मोटरसाईकिल मृतक संजय चला रहा था। उक्त कथन की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से भी होती है जिसके अनुसार मोटरसाईकिल को मृतक संजय चला रहा था। फलतः साक्षी युवराज अ0सा0 5 का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। साक्ष्य से भी ऐसी कोई परिस्थितियां दर्शित नहीं हैं जिससे यह प्रतीत जो कि अभियुक्त द्वारा वाहन को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाया गया था। अपितु स्वयं आहतगणों का मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति सवार होना दर्शित है जो कि स्वयं उनकी उपेक्षा दर्शाता है। अभियोजन साक्ष्य से चालक की ओर से सड़क के उपयोग और गाड़ी चलाने के ढंग के संबंध में कोई उतावलापन अथवा उपेक्षा दर्शित नहीं है। केवल युवराज अ0सा05 द्वारा आरोपी के तेजगति से उनकी साईड में आकर दुर्घटना करने के कथन किये गये हैं। जबकि अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि 28 जून 2005 के समय 13:10 बजे मेन रोड समनापुर थाना रूपझर में अभियुक्त द्वारा वाहन दुर्ग रोडवेज बस क्रमांक सी.जी. 07 जेड.ए. 0385 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर मानव

जीवन संकटापन्न किया है तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर युवराज को दांये घुटना तथा अजय को बांये जांघ में अस्थिभंग कर वाहन क्रमांक एम.पी. 22-0973 के चालक संजय की मृत्यु कारित की।

16. अतः अभियुक्त सोमनाथ तिवारी को भा.दं०सं० की धारा 279, 338, 304(ए) के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति वाहन दुर्ग रोडवेज बस क्रमांक सी. जे. 07 जेड.ए. 0385 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

19. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)